भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
राज्य सभा
तारांकित प्रश्न सं. *98
जिसका उत्तर गुरुवार, 15 दिसम्बर, 2022 को दिया जाना है

जिला न्यायालयों में पुस्तकालयों की सुविधा

***98 श्री एस. निरंजन रेड्डी :**

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार केवल 54 प्रतिशत जिला न्यायालयों को ही कार्यशील पुस्तकालयों की सुविधा उपलब्ध हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार वेब प्लेटफॉर्म पर डिजिटल पुस्तकालय शुरू करने और ऐसे पुस्तकालयों की सुविधा न्यायालयों और सरकारी वकीलों को उपलब्ध कराने का विचार रखती है;

(ग) यदि हां, तो ऐसे पुस्तकालयों के विकास के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है यदि नहीं, तो सरकार देश के निचले न्यायालयों में पुस्तकालयों की कमी की समस्या का समाधान किस तरह से करने का विचार करती है ; और

(घ) राज्य-वार कुल कितने जिला न्यायालयों को पुस्तकालयों की सुविधा उपलब्ध नहीं है?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (घ) : एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

******

<u>राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या *98 जिसका उत्तर तारीख 15.12.2022 को दिया जाना है के भाग (क) से (घ) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।</u>

(क) से (घ) : भारत के उच्चतम न्यायालय की रजिस्ट्री ने न्यायिक अवसंरचना और न्यायालय सुविधाओं की प्रास्थिति पर डाटा संकलित किया था, जिसके अनुसार केवल 51% न्यायालय परिसरों में पुस्तकालय है।

न्यायपालिका के लिए अवसंरचना सुविधाओं के विकास का प्राथमिक उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का होता है । राज्य सरकारों के संसाधनों की अभिवृद्धि करने के लिए संघ सरकार, केन्द्र और राज्यों के मध्य विहित निधि साझा पैटर्न में राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करके न्यायपालिका के लिए अवसंरचना सुविधाओं के विकास के लिए केन्द्रीयकृत प्रयोजित स्कीम का कार्यान्वयन कर रही है । यह स्कीम वर्ष 1993-94 से कार्यान्वित की जा रही है । इसमे जिला और अधीनस्थ न्यायापालिका के न्यायिक अधिकारियों के लिए न्यायालय भवनों और वास सुविधाओं का निर्माण समाविष्ट है । इस स्कीम के प्रारंभ से आज तक 9445.46 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई हैं, जिसमें से 6001.15 करोड़ रू (63.53%) वर्ष 2014-15 से जारी किए गए हैं । यह स्कीम 9000 करोड़ रुपये की कुल लागत के साथ वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 तक बढ़ा दी गई है, जिसमें से केन्द्रीय हिस्सा 5307 करोड़ रुपये होगा। न्यायालय हालों और आवासीय ईकाइयों के संनिर्माण के अतिरिक्त, इस स्कीम में जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में अधिवक्ता हालों, शौचालय परिसरों और डिजिटल कम्प्यूटर कक्षों का संनिर्माण भी समाविष्ट होगा। न्यायालय हॉलों के निर्माण के लिए निर्धारित मानदंड और विनिर्देश हैं जिन्हें उच्चतम न्यायालय की राष्ट्रीय न्यायालय प्रबंधन प्रणाली समिति द्वारा की गई सिफारिशों, विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा अनुसरण किए जा रहे विद्यमान मानदंडों और प्रथाओं और कतिपय सीपीडब्ल्यूडी मानदंडों के आधार पर विकसित किया गया है। ये मानदंड और विनिर्देश प्रत्येक न्यायालय परिसर में उपलब्ध कराई जाने वाली अतिरिक्त सुविधाओं/सामान्य सुविधाओं को निरूपित करते हैं जैसे कि न्यायाधीशों के कक्ष, कार्यालय कक्ष, सम्मेलन कक्ष, न्यायाधीशों के पुस्तकालय, वकीलों के पुस्तकालय आदि। साथ ही, राज्यों को विकल्प दिया गया है कि वे न्यायालय अवसंरचना के सृजन के लिए विहित मानदंडों से उच्च मानदंडों का उपयोग करें, जिसके लिए लागत संबंधित राज्यों द्वारा वहन की जाएगी। स्कीम के अधीन निधियों का जारी किया जाना केवल पूरक प्रकृति का है और स्कीम के अधीन परियोजना/घटक-वार निधियां जारी नहीं की जाती हैं।

यह विभाग ऐसे जिला न्यायालयों जिनमें क्रियाशील पुस्तकालय नहीं है, की संख्या पर केंद्रीय रूप से कोई डाटा नहीं रखता है।

सरकार, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों को सूचना और संचार प्रौद्योगिकी सक्षम बनाने के लिए पूरे देश में ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना को क्रियान्वित कर रही है। ई-न्यायालय के दूसरे चरण के अधीन एक घटक, अर्थात् न्यायालय पुस्तकालयों के कम्प्यूटरीकरण को बढ़ावा देने के लिए न्यायिक ज्ञान प्रबंधन प्रणाली (जेकेएमएस) विकसित किया गया है जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं:-

(i) एकीकृत पुस्तकालय प्रंबंध सॉफ्टवेयर (आईएलएमएस): न्यायालय पुस्तकालय को मजबूत पुस्तकालय प्रंबंध सॉफ्टवेयर से सुसज्जित किया गया है। यह सॉफ्टवेयर पुस्तकालय अधिग्रहण,

परिसंचरण, सूची निर्माण आदि के सभी कार्यों को पूरा करता है, और इसे एक एकीकृत पुस्तकालय प्रबंधन प्रणाली (आईएलएमएस) कहा जाता है। कोहा, ओपन-सोर्स लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों के पुस्तकालय में सफलतापूर्वक अभिनियोजित किया गया है। न्यायालय पुस्तकालयों का कम्प्यूटरीकरण लाभार्थी को अपनी सूची तक ऑनलाइन पहुंच करने और पुस्तकों/पत्रिकाओं के लिए ऑनलाइन अनुरोध करने में समर्थ बनायेगा।

(ii) डिजिटल लाइब्रेरी के रूप में आईएलएमएस: आईएलएमएस सॉफ्टवेयर का उपयोग डिजिटल लाइब्रेरी के रूप में किया जा रहा है, जिसमें डिजिटल रूपों में सामग्री को पोर्ट किया जाता है और इसके लाभार्थियों द्वारा ऑनलाइन इसका उपयोग किया जा सकता है। विधिक अनुसंधान दस्तावेज, समिति/आयोग की रिपोर्ट, विधि लेख, परिपत्र, आदेश, उच्च न्यायालय नियम आदि जो खुली पहुंच सामग्री हैं, सभी को आईएलएमएस डिजिटल लाइब्रेरी में पोर्ट किया जा सकता है।

****